लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4505

20 मार्च, 2020 को उत्तर दिए जाने के लिए

हथकरघा विकास कार्यक्रम

4505. श्री संजय काका पाटील:
श्रीमती चिंता अनुराधा:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) व्यापक हथकरघा विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन की क्या स्थिति है;

(ख) यदि हां, तो गत छह वर्षों के दौरान वास्तविक और वित्तीय लक्ष्य तथा प्राप्त उपलब्धियां क्या हैं और प्रत्येक जिले में लक्ष्यों को प्राप्त नहीं करने के जिला-वार कारण क्या हैं;

(ग) यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं; और

(घ) सरकार द्वारा देशभर में हस्तशिल्प क्षेत्र को बढ़ावा देन और इस क्षेत्र में रोजगार सृजित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
वस्त्र मंत्री
(श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी)

(क): भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय पूरे देश में निम्नलिखित योजनाओं का कार्यान्वयन कर रहा है:

1) राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम
2) हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण योजना
3) यार्न आपूर्ति योजना
4) व्यापक हथकरघा क्लस्टर विकास योजना

उपरोक्त योजनाओं के तहत कच्चे माल, करघे व सहायक सामान की खरीद, डिजाइन इनोवेशन, उत्पाद विविधीकरण, अवसंरचना विकास, कौशल उन्नयन, लाइटिंग यूनिट, हथकरघा उत्पादों के विपणन, रियायती दरों पर ऋण आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

क. राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम

(i) **ब्लॉक स्तरीय क्लस्टर :** इसे राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) के एक संघटक के रूप में 2015-16 में शुरू किया गया है। कौशल उन्नयन, हथकरघा संवर्धन सहायता, उतपाद विकास, वर्कशेड के निर्माण, परियोजना प्रबंधन लागत, डिजाइन विकास, सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी) की स्थापना इत्यादि जैसी विभिन्न मध्यस्थताओं के लिए प्रति बीएलसी 2.00 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता का प्रावधान है। इसके अलावा, जिला स्तर पर एक डाई हाउस की स्थापना के लिए 50.00 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता भी उपलब्ध है। प्रस्तावों की सिफारिश राज्य सरकार द्वारा की जाती है।

(ii) **हथकरघा विपणन सहायता:** यह राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम का एक संघटक है। हथकरघा बुनकरों/एजेंसियों को अपने उत्पाद सीधे उपभोगताओं को बेचने के लिए विपणन मंच प्रदान करने के उद्देश्य से घरेलू तथा विदेशी बाजारों में विपणन कार्यक्रमों के आयोजन के लिए राज्यों/पात्र हथकरघा एजेंसियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(iii) **बुनकर मुद्रा योजना :** बुनकर मुद्रा योजना के तहत हथकरघा बुनकरों को 6% की रियायती ब्याज दर पर ऋण प्रदान किया जाता है । प्रति बुनकर अधिकतम 10,000 रुपए के अध्यधीन ऋण राशि के 20% की दर से मार्जिन राशि सहायता और 3 वर्ष की अवधि के लिए ऋण गारंटी भी प्रदान की जाती है । मार्जिन राशि तथा ब्याज छूट के लिए निधियों के संवितरण में विलंब से बचने के लिए पंजाब नेशनल बैंक के सहयोग से **मुद्रा पोर्टल** विकसित किया गया है।

(iv) **हथकरघा संवर्धन सहायता (एचएसएस):** हथकरघा संवर्धन सहायता (एचएसएस) 1 दिसंबर, 2016 को शुरू की गई थी जिसका उद्देश्य बुनकरों को हथकरघा उत्पादों की उन्नत उत्पादकता एवं गुणवत्ता के माध्यम से उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए करघें/सहायक सामान मुहैया कराना है। इस योजना के तहत करघा/सहायक सामान की लागत के 90% का वहन भारत सरकार द्वारा किया जाता है, जबकि शेष 10% का वहन लाभार्थी द्वारा किया जाता है। भारत सरकार का हिस्सा नामित एजेंसी के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जारी किया जाता है।

(v) **इंडिया हैंडलूम ब्रांड-** दिनांक 7 अगस्त, 2015 को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर उच्च गुणवत्ता वाले हथकरघा उत्पादों की ब्रांडिंग के लिए माननीय प्रधान मंत्री द्वारा इंडिया हैंडलूम ब्रांड शुरु किया गया था । यह उच्च गुणवत्ता वाले, प्रामाणिक परांपरागत डिज़ाइनों वाले और पर्यावरण पर ज़ीरो डिफैक्ट और ज़ीरो इफैक्ट वाले उत्कृष्ट हथकरघा उत्पादों के उत्पादन को बढ़ावा देता है । इसकी शुरूआत से 184 उत्पाद श्रेणियों के तहत 1333 पंजीकरण जारी किए जा चुके हैं और 861.93 करोड़ रूपए की बिक्री अर्जित की गई है ।

विभिन्न अग्रणीय ब्रांड के साथ हथकरघा परिधानों को उनके ब्रांड में एक अलग श्रेणी के रूप में प्रदर्शित करने के लिए पहल की गई हैं ।

(vi) **शहरी हाट** शिल्पकारों/बुनकरों को पर्याप्त प्रत्यक्ष विपणन सुविधाएं प्रदान करने तथा बिचौलियां एजेंसियों को समाप्त करने हेतु बड़े कस्बों/मेट्रोपोलिटिन शहरों में स्थापित किए गए हैं । अब तक पूरे देश में ऐसे 38 शहरी हाट स्वीकृत किए गए हैं ।

(vii) **ई-कॉमर्स:** - हथकरघा उत्पादों के ई-विपणन को बढ़ावा देने के लिए एक नीतिगत फ्रेमवर्क तैयार किया गया था जिसके तहत अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड वाले कोई भी इच्छुक ई-कॉमर्स प्लेटफार्म हथकरघा उत्पादों के ऑनलाइन विपणन में भाग ले सकते हैं। तद्नुसार 23 ई-कॉमर्स संस्थाओं को हथकरघा उत्पादों के ऑनलाइन विपणन के लिए अनुबंधित किया गया है। ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से कुल 80.76 करोड़ रुपये की बिक्री की सूचना प्राप्त हुई है ।

ख. हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण योजना

हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण योजना (एचडब्ल्युसीडब्ल्युएस) में प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) और परिवर्तित महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना (एमजीबीबीवाई) घटकों के तहत जीवन, दुर्घटना और दिव्यांगता बीमा कवरेज प्रदान किया जा रहा है ।

ग. यार्न आपूर्ति योजना:

मिल गेट कीमत पर हर प्रकार का यार्न उपलब्ध कराने के उद्देश्य से देश भर में यार्न आपूर्ति योजना कार्यान्वित की जा रही है । यह योजना राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है । इस योजना के तहत माल-भाड़े की प्रतिपूर्ति की जाती है और डिपो संचालन एजेंसियों को 2% की दर से डिपो संचालन प्रभारों

की प्रतिपूर्ति की जाती है। हैंक यार्न पर 10% मूल्य सब्सिडी का एक संघटक भी मौजूद है जो मात्रात्मक सीमा के साथ सूती, घरेलू रेशम और ऊनी यार्न पर लागू है ।

घ. व्यापक हथकरघा क्लस्टर विकास योजना:

व्यापक हथकरघा क्लस्टर विकास योजना (सीएचसीडीएस) मेगा हथकरघा क्लस्टरों के विकास के लिए 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रति क्लस्टर 40 करोड़ रूपये तक के भारत सरकार के सहयोग के साथ कम से कम 15000 हथकरघों को शामिल करते हुए स्पष्ट रूप से पहचान योग्य भौगोलिक क्षेत्रों/स्थानों में कार्यान्वित की गई है। बजट में 8 मेगा क्लस्टर शुरू करने की घोषणा की गई अर्थात वारणासी, शिवसागार (2008-09),विरूद्धनगर, मुर्शिदाबाद (2009-10), प्रकासम एवं गुंटूर जिले और गोड्डा एवं निकटवर्ती जिले (2012-13), भागलपुर एवं त्रिची (2014-15)।

इस योजना के तहत नैदानिक अध्ययन करने, डिजाइनर को कार्यरत करने, उत्पाद विकास, कच्ची सामग्री के संग्रह, वर्कशेड के निर्माण (बीपीएल/एससी/एसटी/महिला बुनकरों के लिए), कौशल उन्नयन आदि जैसे संघटकों को पूर्णत भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित किया जाता है जबकि भारत सरकार द्वारा प्रौद्योगिकी उन्नयन, लाइटिंग इकाइयों जैसे संघटकों को 90% वित्तपोषित किया जाता है और डिजाइन स्टूडियों, विपणन कॉम्पलेक्स, मूल्य वर्धन केंद्रों, प्रचार-प्रसार आदि जैसे सामान्य अवसंरचना परियोजनाओं को 80% की सीमा तक वित्तपोषित किया जाता है।

(ख): पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के लिए राज्य-वार वास्तविक लक्ष्य और वास्तविक तथा वित्तीय उपलब्धियों को दर्शाने वाला विवरण अनुबंध- I में दिया गया है। किसी वर्ष में निधियों का बहिर्गमन राज्य सरकार द्वारा अनुशंसित व्यवहार्य प्रस्तावों की संख्या पर निर्भर करता है। बुनकर मुद्रा ऋण के संबंध में, किसी वर्ष में निधियों का बहिर्गमन भागीदार बैंकों द्वारा प्राप्त व्यवहार्य प्रस्तावों की संख्या पर निर्भर करता है।

(ग): प्रश्न नहीं उठता।

(घ): भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय एक सुव्यवस्थित तरीके से हस्तशिल्प के विकास के लिए एकीकृत दृष्टिकोण पर जोर देने हेतु "राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी)" और व्यापक हस्तशिल्प क्लस्टर विकास योजना (सीएचसीडीएस) के माध्यम से हस्तशिल्प क्षेत्र के कारीगरों के संवर्धन और विकास तथा रोजगार सृजन के लिए विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन करता है। ।

एनएचडीपी के निम्नलिखित संघटक हैं:

i. अंबेडकर हस्तशिल्प विकास योजना के तहत कारीगरों का बेस लाइन सर्वेक्षण और संग्रहण
ii. डिजाइन और प्रौद्योगिकी उन्नयन,
iii. मानव संसाधन विकास ,
iv. कारीगरों को प्रत्यक्ष लाभ,
v. अवसंरचना और प्रौद्योगिकी सहायता,
vi. अनुसंधान और विकास,
vii. विपणन सहायता और सेवाएँ।

सीएचसीडीएस के निम्नलिखित संघटक हैं:

i. मेगा क्लस्टर
ii. हस्तशिल्प का एकीकृत विकास और संवर्धन (आईडीपीएच) के तहत विशेष परियोजनाएं।

अनुबंध -I

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान एनएचडीपी के तहत राज्य-वार वास्तविक लक्ष्य और वास्तविक और वित्तीय उपलब्धि को दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	राज्य	ब्लॉक स्तरीय क्लस्टर – एनएचडीपी			हथकरघा विपणन सहायता			बुनकर मुद्रा ऋण	
		वास्तविक लक्ष्य	वास्तविक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि (लाख रू०में)	वास्तविक लक्ष्य	वास्तविक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि (लाख रू०में)	स्वीकृत ऋणों की संख्या	वित्तीय उपलब्धि (लाख रू०में)
1	आंध्र प्रदेश	30	20	699.82	31	24	190.99	22991	11838.76
2	अरूणाचल प्रदेश	12	9	266.76	11	8	36.45	0	0.00
3	असम	50	46	3099.03	57	56	720.93	596	267.93
4	बिहार	5	2	100.91	13	3	81.20	453	118.80
5	छत्तीसगढ़	7	3	115.26	11	6	64.29	649	326.50
6	दिल्ली	2			20	7	21.59	0	0.00
7	गुजरात	5	3	55.80	8	0	0.00	289	94.52
8	हरियाणा	2	0	4.31	2	0	0.00	206	74.22
9	हिमाचल प्रदेश	12	7	219.63	13	0	34.00	173	165.95
10	जम्मू एवं कश्मीर	14	11	401.53	11	8	90.61	9770	5969.71
11	कर्नाटक	4	7	248.07	4	0	0.00	239	62.60
12	केरल	17	2	182.71	26	22	123.93	3264	1551.80
13	लद्दाख	7	1	6.65	9	0	0.00	663	314.61
14	मध्य प्रदेश	5	1	156.44	13	12	204.88	242	55.30
15	महाराष्ट्र	7	6	143.47	22	18	209.58	193	182.94
16	मणिपुर	14	6	680.45	17	14	119.71	18	20.00
17	मेघालय	5	0	0.00	8	1	7.85	0	0.00
18	मिज़ोरम	8	3	136.08	13	17	134.52	9	4.50
19	नागालैंड	14	8	272.65	29	16	210.09	55	27.80
20	ओडिशा	16	15	734.13	21	21	254.87	2912	965.68
21	पंजाब	2			0	0	0.00	1	2.00
22	राजस्थान	3	1	37.54	9	4	43.10	314	61.50
23	सिक्किम	2	0	5.33	14	12	118.14	0	0.00
24	तमिलनाडु	12	4	1004.41	26	25	207.20	72147	34550.74
25	तेलंगाना	17	7	183.03	27	27	195.25	3351	1833.29
26	त्रिपुरा	6	1	24.90	28	28	204.59	9	2.70
27	उत्तर प्रदेश	41	35	1342.70	34	39	360.30	3554	1919.18
28	उत्तराखंड	4	2	35.79	23	14	64.68	84	86.00
29	पश्चिम बंगाल	13	5	216.11	19	5	34.00	1080	520.08

****